सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 315/2017 दायर दिनॉक 10.11.2017

वादी		प्रतिवादीगण
1. विजयरतन सोनी पुत्र नवरतन सोनी, उम्र–30साल, जाति–सोनी, निवासी–पुराने पावर हाउस के पास, डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. घींसाराम पुत्र पूरण, जाति–माली, 2. गोविन्दराम पुत्र पूरण, जाति–माली, 3. कालूराम पुत्र पूरण, जाति–माली, 4. नन्दकिशोर पुत्र स्वर्गीय हरदीनाराम, जाति–माली, 5. रेखाराम पुत्र स्वर्गीय हरदीनाराम, जाति–माली, 6. तीजादेवी पत्नी स्वर्गीय हरदीनाराम, जाति–माली, 7. बोदूराम पुत्र स्वर्गीय भाणू, जाति–माली, 8. सीतादेवी पत्नी स्वर्गीय भाणू, जाति–माली, (फौत), 9. धनराज पुत्र स्वर्गीय रामेश्वरलाल, जाति–माली, 10. सुमेरसिंह पुत्र स्वर्गीय रामेश्वरलाल, जाति–माली, 11. सुनीलकुमार पुत्र स्वर्गीय रामेश्वरलाल, जाति–माली, 12. राजू पुत्री स्वर्गीय रामेश्वरलाल, जाति–माली, 13. झमकूदेवी पत्नी स्वर्गीय रामेश्वरलाल, ज़ाति–माली, समस्त,निवासी–आड़काबास, डीडवाना, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 14. अब्दुल सलाम पुत्र मो0 सदीक, जाति–देशवाली, 15. असरफ पुत्र मो0 सदीक, जाति–देशवाली, 16. मोहम्मद कलाम गौरी पुत्र अब्दुल अजीज, जाति–देशवाली, 17. ईसुब पुत्र जमालूदीन, जाति–देशवाली, 18. सुवालीन पुत्र जमालूदीन, जाति–देशवाली,

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

(लगातार)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 315/2017
दायर दिनाँक 10.11.2017, निर्णय दिनाँक 22.02.2019
विजयरतन बनाम् घींसाराम, वगैरा।

		19. सफीक पुत्र जमालूदीन, जाति–देशवाली, 20. दुलफिज पुत्र जमालूदीन, जाति–देशवाली, 21. रफीक पुत्र जमालूदीन, जाति–देशवाली, समस्त,निवासी–रामसाबास डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 22. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रिकॉर्ड दुरस्ती, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 **R.T. Act.**

उपस्थितः–

1. श्री मोहम्मद शरीफ शेरानी, वकील, वादी।

दिनाँक **22.02.2019**

–:: <u>निर्णय</u> ::–

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, सरहद डीडवाना में खसरा नम्बर 3229 रकबा 95.01 बीघा भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 03 तक व प्रतिवादीगण संख्या 04 ता 06 के पिता/पति स्वर्गीय हरदीनाराम तथा प्रतिवादीगण संख्या 07 ता 21 तक की संयुक्त खातेदारी का है। नकल खतौनी पेश है।

वादग्रस्त भूमि में से रकबा 25.15 बीघा भूमि प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 06 की भूमि है जिसमें से प्रतिवादी संख्या 01 घींसाराम की रकबा 06. बीघा 10 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि हक हिस्से व अधिकार तथा कब्जा की मौजूद होने से प्रतिवादी संख्या 01 ने वादी को जरिये रजिस्ट्रर्ड बैचाण दिनाँक 24.05.2017 से उक्त भूमि का बैचाण कर दिया। तब से उक्त भूमि पर वादी बतौर स्वामी काबिज हुआ। नकल बैचाण पेश है।

वादग्रस्त भूमि का विधिवत् बन्टवारा नहीं होने से वादी को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वादी की उक्त खरीदसुदा भूमि को वाद संलग्न नजरीनक्शा अनुसूची ''अ'' मे दर्शित किया गया है जिसके अनुसार वादी खातेदारी चाहते हैं।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद संख्या 315/2017
दायर दिनांक 16.11.2017 निर्णय दिनांक 22.03.2019
[illegible]

प्रार्थना वादी है कि

मौजा डीडवाना में खसरा नम्बर 3296 रकबा 36.01 बीघा भूमि में से रकबा 08 बीघा 10 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि का वादी को रजिस्टर्ड अनुसूची 'अ' में वर्णितानुसार खातेदार घोषित किया जावे। स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर्ड किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 22 को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के बावजूद तामील के न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रतिवादी संख्या 14 फौत हो चुकी है व इनके वारिसान पहले से ही रिकॉर्ड पर है इसलिए इनका नाम विलोपित किया जाता गया।

वाद के समर्थन में इन्तखाब–ए–जमाबन्दी मौजा डीडवाना सम्वत् 2070–73 खतौनी नम्बर 114/14 खसरा नम्बर 3296 की प्रतिलिपि पेश है।

विद्वान वकील वादी की प्रस्तावित एकपक्षीय बहस सुनी गयी। बहस के दौरान कथन वादी जरिये विद्वान वकील है कि मौजा डीडवाना में खसरा नम्बर 3296 रकबा 36.01 बीघा भूमि में से रकबा 08 बीघा 10 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि वादी की जरिये पंजीकृत विक्रय से खरीदशुदा भूमि है जिसकी अलग खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में वादी के हक में दर्ज किया जावे। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन किया। बहस पर मनन किया।

वाद का किसी पक्षकार द्वारा कोई खण्डन नहीं किया गया है। प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही हो चुकी है। वादग्रस्त भूमि वादी के जरिये रजिस्टर्ड पंजीयन के खरीदशुदा भूमि है जिसका वादी अपने हक में अलग खातेदारी दर्ज करवाना चाहता है। वादी का दावा है कि मौजा डीडवाना में खसरा नम्बर 3296 रकबा 36.01 बीघा भूमि में से रकबा 08 बीघा 10 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि वादी की जरिये रजिस्टर्ड विक्रय से खरीदशुदा भूमि है परन्तु वाद सामग्री रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र की प्रति के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि खसरा नम्बर 3296 रकबा 36.01 बीघा भूमि में से रकबा 08.27 बीघा भूमि ही वादी की खरीदशुदा भूमि है जिसकी खातेदारी वादी अपने हक में घोषित करवाने का अधिकार रखता है। लिहाजा, मौजा डीडवाना में खसरा नम्बर 3296 रकबा 36.01 बीघा भूमि में से रकबा 08.27 बीघा भूमि की अलग खातेदारी वादी के हक में की जाना आज अदालत को उचित लगता है।

अतः बाद विवेचन वादी का वाद निम्न आदेशानुसार डिक्री पारित किया जाता है–

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

राजस्व–वाद, संख्या 315/2017
दायर दिनाँक 10.11.2017, निर्णय दिनाँक 22.02.2019
विजयरतन बनाम् घींसाराम, वगैरा।

आदेश

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, सरहद डीडवाना में खसरा नम्बर 3229 रकबा 95.01 बीघा भूमि का बन्टवारा "बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स" के कर, इसकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, रजरीनक्शा अनुसूची "अ" में दर्शित भूमि माफिक भूमि रकबा 06.07 बीघा की खातेदारी वादी के हक में घोषित की जाती है। शेष खाता बदस्तूर जारी रहेगा। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री पर्चा जारी हो।

नजरीनक्शा अनुसूची "अ", निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **22.02.2019** को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालतः-- सहायक कलक्टर, डीडवाना

बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **315/2017** दायर दिनाँक **10.11.2017**

वादी		प्रतिवादीगण
1. विजयरतन सोनी पुत्र नवरतन सोनी, उम्र–30साल, जाति–सोनी, निवासी–पुराने पावर हाउस के पास, डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. घींसाराम पुत्र पूरण, जाति–माली, 2. गोविन्दराम पुत्र पूरण, जाति–माली, 3. कालूराम पुत्र पूरण, जाति–माली, 4. नन्दकिशोर पुत्र स्वर्गीय हरदीनाराम, जाति–माली, 5. रेखाराम पुत्र स्वर्गीय हरदीनाराम, जाति–माली, 6. तीजादेवी पत्नी स्वर्गीय हरदीनाराम, जाति–माली, 7. बोदूराम पुत्र स्वर्गीय भाणू, जाति–माली, 8. सीतादेवी पत्नी स्वर्गीय भाणू, जाति–माली, (फौत), 9. धनराज पुत्र स्वर्गीय रामेश्वरलाल, जाति–माली, 10. सुमेरसिंह पुत्र स्वर्गीय रामेश्वरलाल, जाति–माली, 11. सुनीलकुमार पुत्र स्वर्गीय रामेश्वरलाल, जाति–माली, 12. राजू पुत्री स्वर्गीय रामेश्वरलाल, जाति–माली, 13. झमकूदेवी पत्नी स्वर्गीय रामेश्वरलाल, जाति–माली, समस्त,निवासी–आड़काबास, डीडवाना, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 14. अब्दुल सलाम पुत्र मो0 सदीक, जाति–देशवाली, 15. असरफ पुत्र मो0 सदीक, जाति–देशवाली, 16. मोहम्मद कलाम गौरी पुत्र अब्दुल अजीज, जाति–देशवाली, 17. ईसुब पुत्र जमालूदीन, जाति–देशवाली, 18. सुवालीन पुत्र जमालूदीन, जाति–देशवाली,

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

(लगातार)

Scanned by CamScanner

	19. साबिर पुत्र कमरूद्दीन, जाति–देशवाली 20. तुफैल पुत्र कमरूद्दीन, जाति–देशवाली 21. शकील पुत्र कमरूद्दीन, जाति–देशवाली समस्त निवासी–नम्बाबास डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान 22. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत
घोषणा खातेदारी, रिकार्ड दुरुस्ती, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 R.T. Act.

दिनांक 22.02.2019

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल बतौर सकल इजलास व हाजरी मिन्जानिब मुद्दई श्री मोहम्मद शरीफ शरानी, अधिवक्ता, वादी ओर से मद्देनजर रख हाकम हुक्म दिया जाता है कि, इस दावा डिक्री साहिर कर, सरहद डीडवाना में खसरा नम्बर 3249 रकबा 35.01 बीघा भूमि का बंटवारा "बाईमीटस एण्ड बाउण्डस" के तहत, इसकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, नजरीनक्शा अनुसूची "अ" में दर्शित भूमि मापित भूमि रकबा 06.07 बीघा की खातेदारी वादी के हक में घोषित की जाती है। शेष खाता बदस्तूर जारी रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त हो। नजरीनक्शा अनुसूची "अ", निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

मौजा.......–....... मुवक्किल.........–.......... बाबत.........
......–..............खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह.......–.......
आज की तारीख को अदा करें। बसबब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज की तारीख 22.02.2019 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूप या	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

क्रमांक–315–2017/रीडर/2019/ 205 दिनांक 26/2/19

प्रेषिति–

तहसीलदार
डीडवाना।

विषय: –निर्णय की पालना करने बाबत्।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रिकॉर्ड दुरस्ती, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 R.T. Act.

वादी		प्रतिवादीगण
1. त्रिलोकचन्द सोनी पुत्र नथमल सोनी, उम्र–[illegible] साल, जाति–सोनी, निवासी–पुराने पावर हाउस के पास, डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम	1. धीसाराम पुत्र पूरण, जाति–माली, निवासी–आडकाबास, डीडवाना, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, वगैरा।

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर पालना रिपोर्ट भिजवावें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner